



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर-452 007

दूरभाष : 0731-2432822, फ़ैक्स : 0731-2536600

ई-मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

इन्दौर, दिनांक 22-01-2018

आदेश क्रमांक 63 /2018 मुख्यालय में नई पदस्थापनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालयीन अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन संबंधी पूर्व आदेशों को अधिकमित करते हुए आगामी आदेश तक निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रभारी अधिकारी के रूप में आवंटित शाखा का नाम एवं क्रमांक	शाखा अधिकारी के रूप में आवंटित शाखा का नाम
1	श्री प्रभात दुबे, अपर श्रमायुक्त	1. समन्वय 2. सूचना प्रकोष्ठ 3. मजीठिया प्रकोष्ठ 4. औद्योगिक संबंध 5. आय.टी.प्रकोष्ठ 6. महिला एवं बाल श्रम (ग्यारह)	1. श्री के.एच.मतकर, श्रम पदाधिकारी (मजीठिया प्रकोष्ठ, महिला एवं बाल श्रम, सूचना प्रकोष्ठ) 2. श्री जी.के.दलोद्रा, श्रम पदाधिकारी (औद्योगिक संबंध एवं समन्वय शाखा) 3. श्री आर.जयदेव, सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आय.टी.प्रकोष्ठ)
2	श्री एल.पी.पाठक, उपश्रमायुक्त	1. लेखा शाखा 2. बीडी शाखा 3. बंधक प्रकोष्ठ	1. श्री बी.के.उपाध्याय, लेखा अधिकारी (लेखा शाखा) 2. श्रीमती राखी जोशी, श्रम पदाधिकारी (बीडी शाखा) 3. श्री के.एच.मतकर, श्रम पदाधिकारी (बंधक प्रकोष्ठ)
3	श्री एस.एस.दीक्षित, उपश्रमायुक्त	1. अन्वेषण एवं श्रम कल्याण 2. प्रवर्तन शाखा 3. उपदान	1. श्री गोपाल स्वामी, श्रम पदाधिकारी (अन्वेषण एवं श्रम कल्याण, प्रवर्तन शाखा, उपदान)
4	श्री राजशेखर सिंह, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	1. निर्माणी (औ.स्वा. एवं सुरक्षा)	श्री पी.पी.पटेलिया, सहायक संचालक औ.स्वा. एवं सुरक्षा निर्माणी शाखा
5.	श्री आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त	1. स्थापना शाखा 2. वेतन शाखा 3. सी.एम.हेल्पलाईन 4. विधि प्रकोष्ठ	1. श्री आर.के.मिश्रा, श्रम पदाधिकारी (स्थापना एवं वेतन शाखा) 2. श्रीमती राखी जोशी, श्रम पदाधिकारी (विधि एवं सी.एम.हेल्पलाईन)

12. प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रम आयुक्त समकक्ष तथा वरिष्ठ स्तर के प्राधिकारी/अधिकारियों के श्रम आयुक्त को संबोधित अर्द्धशासकीय पत्रों का उत्तर श्रम आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से भेजे जावें। ऐसे पत्रों का निराकरण समन्वयक रूप से किया जाए।
13. केन्द्र स्तर पर, राज्य स्तर के संघों के पदाधिकारियों के अर्द्ध शासकीय पत्रों का उत्तर उसी प्रभारी अधिकारी द्वारा भेजा जावे जिनको उनका पत्र संबोधित हो।
14. नियोजक संस्थाओं के अध्यक्ष (चेयरमेन/प्रेसिडेंट (एम.डी.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी(सीइओ) से पत्र व्यवहार श्रम आयुक्त/अपर श्रम आयुक्त/संचलक/उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रमायुक्त स्तर से किया जावे।
15. प्रभारी अधिकारी का उन्हें आवंटित शाखा पर सीधा नियंत्रण होगा शाखा में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रभारी अधिकारी के अधिनस्थ कार्य करेंगे। प्रभारी अधिकारी एवं शाखा अधिकारी के प्रवास या अन्य कारण से मुख्यालय से अनुपस्थिति की स्थिति में लिंक व्यवस्था में अंकित अधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक -दूसरे का कार्य सम्पादन किया जावेगा:-

क्रं.	प्रभारी अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम
01	श्री प्रभात दुबे, अपर श्रम आयुक्त	←→ श्री एस.एस दीक्षित, उप श्रम आयुक्त
02	श्री एस.एस दीक्षित, उप श्रम आयुक्त	←→ श्री प्रभात दुबे, अपर श्रम आयुक्त
03	श्री राजशेखर सिंह, प्रभारी संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा	←→ श्री मुकेश जैन, उप संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा
04	श्री आशीष पालीवाल (एकलव्यवस्था), सहायक श्रमायुक्त	←→ श्री एल.पी. पाठक, उप श्रमायुक्त
05	श्री पी.पी.पट्टेरिया, सहायक संचालक औ.स्वा.एवं सुरक्षा	←→ श्रीमती अमृता टैगोर, सहायक संचालक औ.स्वा.एवं सुरक्षा
06	श्री डी.के.दलोद्रा, श्रम पदाधिकारी	←→ श्री के.एच.मतकर, श्रम पदाधिकारी
07	श्री गोपाल स्वामी, श्रम पदाधिकारी	←→ श्रीमती राखी जोशी, श्रम पदाधिकारी
08	श्रीमती राखी जोशी, श्रम पदाधिकारी	←→ श्री डी.के. दलोद्रा, श्रम पदाधिकारी

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होंगे।

( श्रीमति जैन )

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22-1-18

क्रमांक 1/13/सात/2009/3280-362,  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी..... मुख्यालय, इन्दौर।
3. समस्त शाखा अधिकारी.....की ओर पालनार्थ।
4. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल/असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल/स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
5. कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल।
6. समस्त उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा, म.प्र.
8. निज सहायक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
9. कार्यालय अधीक्षक की ओर पालनार्थ।
10. शाखा प्रमुख.....आर.पी. शर्मा.....की ओर पालनार्थ।
11. आदेश पत्रिका/गार्ड फाईल में संकलनार्थ।

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर